

मैकेनिक	40%	10%	45%	5%	0%	0%			
	9	2	10	1	0	0	1	1	24

7. **आवासीय अहर्ता :-** महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी हैं या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या-14/स्थानीय नीति -14-03/2016 का 4650, दिनांक 02 जून 2016 (संकल्प संख्या-3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 8. **जाति आधारित अहर्ता :-** नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
 9. **अनुलग्नक :-** (क) प्रवेशिका अंक पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (ख) कंडिका 7 में वर्णित अद्यतन आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (ग) आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वाँ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण-पत्र, (घ) जाति प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (च) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिव्यांग कोटि के लिये) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, (छ) जिला सैनिक परिषद् द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र (भूतपूर्व सैनिक कोटि के लिए) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ।
 10. **आवेदन प्रपत्र** जिला नियोजनालय, खूँटी एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में सभी कार्य दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही नामांकन सूचना एवं आवेदन प्रपत्र www.khunti.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
 11. **आवेदकों की मेरिट लिस्ट** www.khunti.nic.in अपलोड कर समाचार पत्रों में साक्षात्कार की तिथि व स्थल की सूचना प्रकाशित की जाएगी तथा साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाईल नम्बर पर सूचना दी जायेगी।
 12. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि व समय— 04/01/2021** संध्या 5:00 बजे तक
 13. **आवेदन पत्र भेजने का पता—** जिला नियोजनालय, खूँटी (झारखण्ड) पिन 835210
- संपर्क:-** निम्न नम्बरों पर 9386321784/7903033566 सीधे बात कर या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है या Email ID : witikhunti@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।
- नोट:-** प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है।

जिला नियोजन पदाधिकारी, खूँटी

—सह—

प्राचार्य

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी।

अनुसूची "क"

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नाम :- महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, खूँटी
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) :-
- (हिन्दी में):-
3. (क) पिता का नाम :-
- (ख) अभिभावक का नाम :-
4. पिता/अभिभावक का पेशा :-
5. उम्मीदवार का पूरा पता :-
- (क) स्थायी पता :-
- (ख) थाना :- गृहजिला पिन नं०
- (ग) पत्राचार का पता :-
- मोबाईल नं० :-
- (घ) उम्मीदवार का आधार नम्बर :-
6. उम्मीदवार का निकटतम रेलवे स्टेशन :-
7. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ):-
8. दिनांक 1 जुलाई 2020 को आयु
9. शैक्षणिक योग्यता :-

आवेदक अपना पूर्ण
हस्ताक्षर युक्त
पासपोर्ट साईज
रंगीन फोटो
चिपकाये।

कृपया मैट्रिक/प्रवेशिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दें :-

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष (वार्षिक/पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभ्युक्ति
1									
2									
3									

नोट:- आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

10. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्य हैं ?
:-
 11. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित हैं ?
 12. क्या उम्मीदवार विकलांग हैं ?
 13. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिग दोनों की अलग-अलग संख्या
:-
 14. अनुलग्नक की विवरणी :- 1)..... 2).....
3)..... 4)..... 5).....
6)..... 7)
- मैं पिता का नाम
प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई है एवं सत्य है।

आवेदन देने की तिथि

- नोट:- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग /भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं वीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोलजर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (2) दिव्यांगों को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ऑर्थो-पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सा (Civil Surgeon) द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण-पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर